

## भाग— V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य शासन के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग :ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध) की अनुशंसा के आधार पर झाबुआ जिले में दाहोद-इन्दौर बरस्ता (झाबुआ-धार-पीथमपुर) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु 57.64 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम रेलवे, इन्दौर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 08.05.2020

स्थान: भोपाल

  
(एच. एस. मोहन्ता)  
सचिव,  
नध्यप्रदेश शासन, वन विभाग